HRA AN USIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] No. 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2002/पौष 13, 1923

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2002/PAUSA 13, 1923

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, **3 जनव**री, 2002

का.आ. 12 (अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 4 अप्रैल, 1957 की अधिसूचना सं. एस. आर. ओ. 1181 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी अर्थात् :--

.

आंध्र प्रदेश सरकार''

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, 7 [447.000 कि.मी. से 464.000 कि.मी. (नागपुर-हैदराबाद) और 22.300 कि.मी. से 34.800 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर) को छोड़कर] सं. 9 (विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम खंड सहित) 217.0 कि.मी. से 266.4 कि.मी. (नंदीगाम से विजयवाड़ा) को छोड़कर, सं. 16 [205/0 कि.मी. से 235/0 कि.मी. (चेन्नूर से अर्जुनगुट्टा) को छोड़कर], सं. 43, सं. 63, सं. 202, सं. 205 और सं. 219 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 18 और सं. 214

[फा.सं.एन.एच.-23014/3/2001-पी एंड एम]

अशोक जोशी, सचिव

नोट:—मुख्य अधिसूचना दिनांक 4-4-1957 को एस. आर. ओ. सं. 1181 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उसमें पिछली बार दिनांक 23-4-2001 की अधिसूचना सं. 350(अ) द्वारा संशोधन किया गया था। i

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2002

S. O. 12(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Transport number S.R.O. 1181, dated the 4th April, 1957, namely:—

In the said notification, in the Schedule,

for serial number 1, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted.

namely:—

2

3

1 So much of National Highways No. 4, No. 7 [excluding from Km. 447.000 to Km. 464.000 (Nagpur-Hyderabad) and from Km. 22.300 to Km. 34.800 (Hyderabad-Bangalore)] No. 9 (including portion from Vijayawada to Machilipatnam) excluding Km. 217.0 to 266.4 (from Nandigama to Vijayawada) No. 16 [excluding from Km. 205/0 to Km. 235/0 (Chennur to Arjunagutta)], No. 43, No. 63, No. 202, No. 205 and No. 219 as are situated within the State of Andhra Pradesh and National Highways No. 18 and No. 214.

State Government of Andhra Pradesh".

[F. No. NH-23014/3/2001-P&M]

ASHOKE JOSHI, Secy.

Note:—The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 1181 dated the 4th April, 1957 and last amended vide notification No. 350(E) dated 23-4-2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2002

का.आ. 13(अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 [205/0 से 235/0 कि.मी.] (चेन्नूर से अर्जुनगुत्ता) के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कार्यों का निष्पादन अगले आदेश तक सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सीमा सड़क संगठन को सौंपती है ।

[फा. सं. एन. एच-23014/3/2001-पी. एल.]

अशोक जोशी. सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2002

S.O. 13(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby entrusts the execution of the work relating to development and maintenance of the National Highway No. 16 [from Km. 205/0 to 235/0] (from Chennur to Arjungutta) in Andhra Pradesh to Border Roads Organisation under Border Road Development Board until further orders.

[No. NH-23014/3/2001-PL]

ASHOKE JOSHI, Secy.